



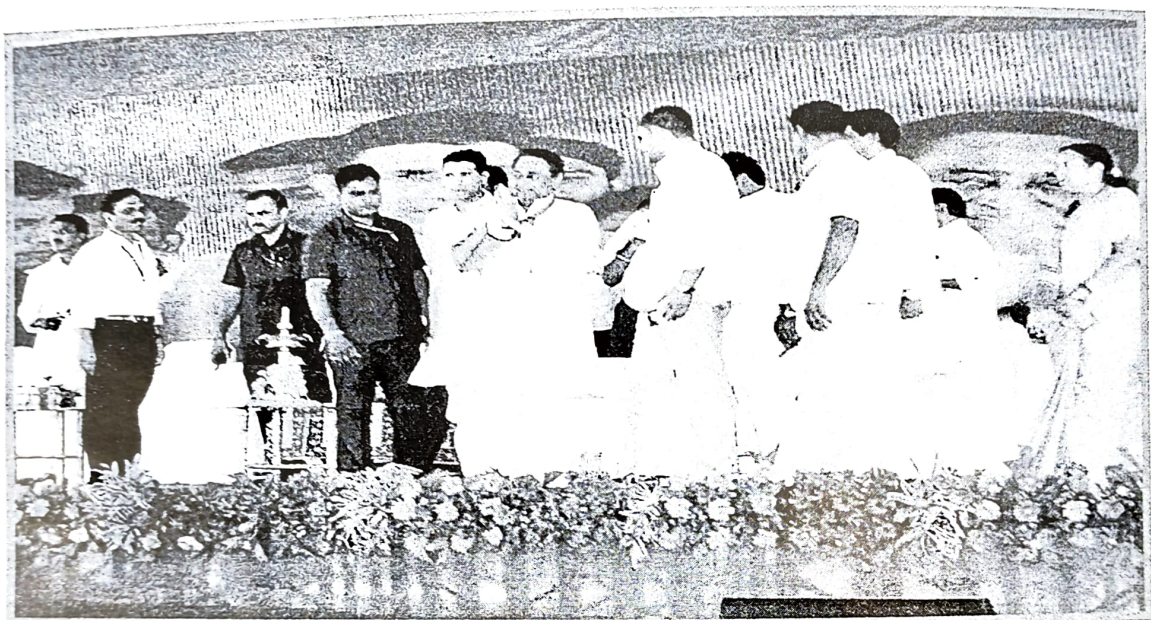
मध्यप्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19



भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
2019



पिछड़ा वर्ग पोस्टमेट्रिक (500 सीटर) कन्या छात्रावास भवन
ग्राम असरावद खुर्द इन्दौर का लोकार्पण



मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2018-19



भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2019

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

अनुक्रमणिका

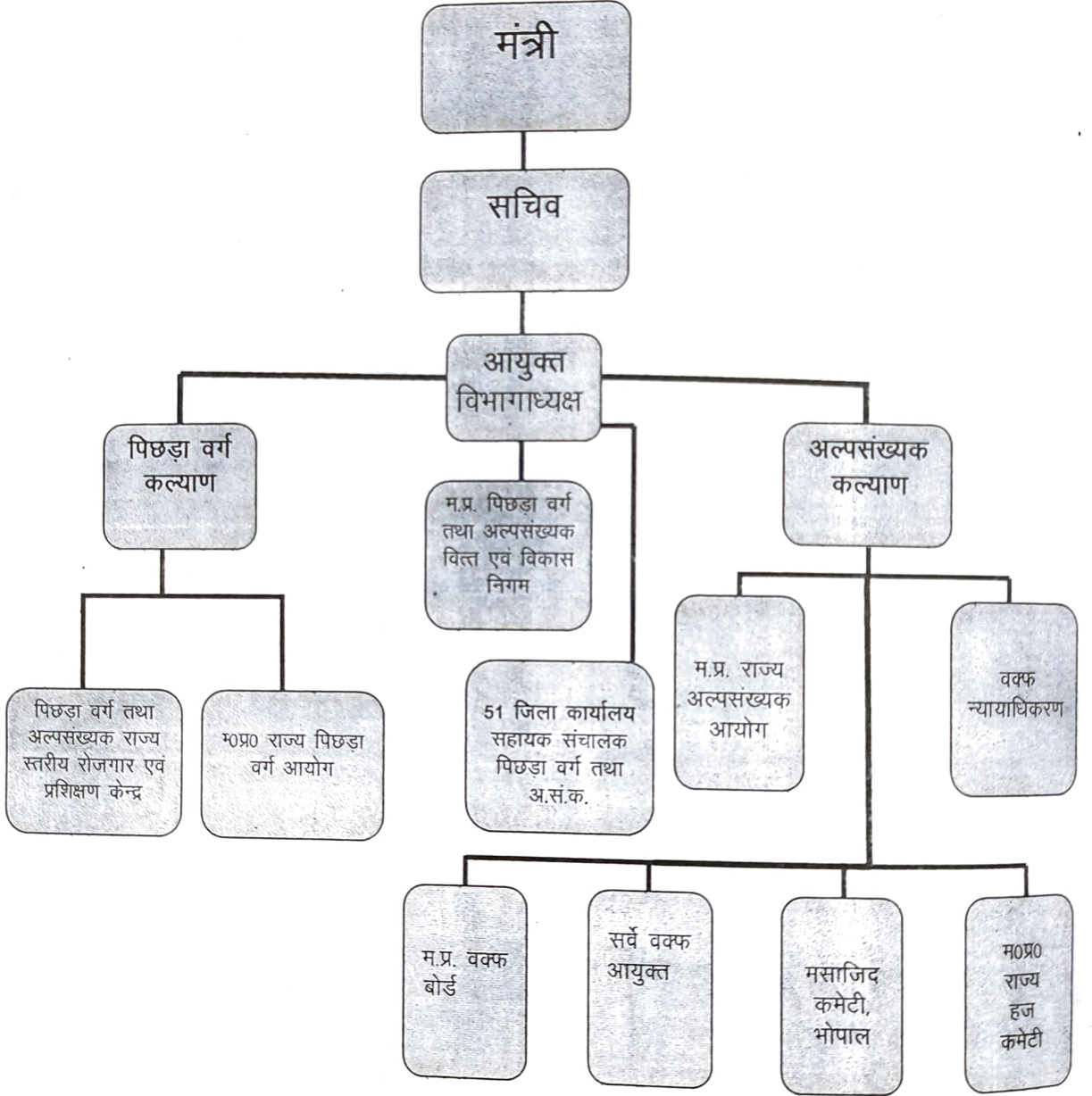
क्रमांक	विवरण
	विभाग की प्रशासकीय संरचना
1.	भाग-एक सामान्य: 1.1. संक्षिप्त जानकारी 1.2. विभागीय संरचना 1.3. अधीनस्थ कार्यालय 1.4. विभाग के दायित्व
2.	भाग -दो बजट विहंगावलोकन वर्ष 2018-19
3	भाग - तीन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 3.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँ 3.2. अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ 3.3. अभिनव योजनाएँ
4.	भाग-चार विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण
5.	भाग- पांच सामान्य प्रशासनिक विषय
6.	भाग-छः प्रकाशन
7.	भाग - सात राज्य की महिला नीति
8.	भाग - 8 रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्री	—	श्री आरिफ अकील
सचिव	—	श्री रमेश एस थेटे
विभागाध्यक्ष (आयुक्त)	—	श्री रमेश एस थेटे
सर्वे वक्फ आयुक्त	—	श्री रमेश एस थेटे
उपसचिव	—	श्री विनय निगम
अवर सचिव,	—	श्री अशोक कुमार मालवीय
पीठासीन अधिकारी, म०प्र०राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल	—	श्री कमर इकबाल खान
सचिव, म०प्र०राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	—	श्री विनय निगम (प्रभारी)
सचिव, म०प्र०राज्य अल्पसंख्यक आयोग	—	श्री विनय निगम (प्रभारी)
प्रबंध संचालक, म०प्र० पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	—	श्री रमेश एस थेटे
संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल	—	श्री रमेश एस थेटे
मुख्यकार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड	—	श्री मोहम्मद अहमद खान
सचिव एवं कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य हज कमेटी	—	श्री दारुद अहमद खान

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विभाग की प्रशासकीय संरचना



पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण

भाग - एक

सामान्य

1.1- संक्षिप्त जानकारी : -

महाजन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये सर्वप्रथम दिनांक 12.10.1982 को "संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण" की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विकास की गति तेज करने की दृष्टि से दिनांक 12 सितम्बर 1995 को राज्य शासन द्वारा पृथक से "पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" गठित किया गया। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 92 जाति/उप जाति/वर्ग समूह पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित हैं। प्रदेश की आबादी में पिछड़ा वर्ग की अनुमानित आबादी लगभग 50.09 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पृथक से गठन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-2-1995 द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसी विभाग की अधिसूचना दिनांक 12-9-1995 के द्वारा विभाग का पुनर्गठन किया जाकर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गठित किया गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 6 धार्मिक समुदायों क्रमशः मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी को प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी मध्यप्रदेश की कुल आबादी का लगभग 8.153 प्रतिशत है।

1.2 विभागीय संरचना :

1.2.1 विभागाध्यक्ष –पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार विभागाध्यक्ष घोषित है—

- (1) आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,
- (2) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

1.2.2 स्वीकृत पद —

विभागाध्यक्ष कार्यालय:-

आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में वर्तमान में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
वरिष्ठ आय.ए.एस.	आयुक्त/संचालक	वरिष्ठ आई.ए.एस.	01	0	01 अतिरिक्त प्रभार
प्रथम श्रेणी	संयुक्त संचालक	15600-39100+7600 ग्रेड पे	01	01	0
	उपसंचालक	15600-39100+6600 ग्रेड पे	01	01	0
	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600-39100+6600 ग्रेड पे	01	01	0
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	15600-39100+5400 ग्रेड पे	03	03	0
	सहायक अनुसंधान अधिकारी	15600-39100+5400 ग्रेड पे	01	0	01
तृतीय श्रेणी	अधीक्षक	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	शीघ्रलेखक-वर्ग 2	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	सहा.सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	9300-34800+3600 ग्रेड पे	01	0	01
	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5200-20200+2800 ग्रेड पे	01	0	01

	सहायक वर्ग-1	5200-20200+2800 ग्रेड पे	03	02	01
	लेखापाल	5200-20200+2400 ग्रेड पे	02	0	02
	शीघ्रलेखक वर्ग-3	5200-20200+2800 ग्रेड पे	01	0	01
	सहायक वर्ग-2	5200-20200+2400 ग्रेड पे	03	03	0
	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900 ग्रेड पे	10	10	0
	स्टेनो टाइपिस्ट	5200-20200+1900 ग्रेड पे	01	0	01
	वाहन चालक (02पद नियमित एवं 02 पद कार्यभारित)	5200-20200+1900 ग्रेड पे	04	02	02
	वाहन चालक (दैनिक वेतन भोगी)	कलेक्टर दर	01	0	01
	कम्प्यूटर ऑपरेटर (कलेक्टर दर / आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	04	04	0
चतुर्थ श्रेणी	दफ्तरी	4440-7440+1400 ग्रेड पे	01	01	0
	भृत्य	4440-7440+1300 ग्रेड पे	13	11	02
	भृत्य (स्थायी कर्मी)	4000-80-7000	02	02	0
	भृत्य (कलेक्टर दर/ आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	02	02	0

1.2.3 अधिनस्थ कार्यालय:-

सर्वे वक्फ आयुक्त:-

आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अधीन सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल के कार्यालय के आधीन स्वीकृत भरे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	सर्वे वक्फ आयुक्त	01	0	01	15600-39100+7600 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 14) अतिरिक्त प्रभार
2.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-2	01	0	01	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
3.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-3	01	01	0	5200-20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 4)
4.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	01	0	01	4440-7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 1)

राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण):-

विभाग अंतर्गत मुख्यालय भोपाल में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार मूलक विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु संचालक, पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यालय संचालित है। केन्द्र में वर्तमान में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	संचालक	01	0	01	37400-67000+8700 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 15)
2.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	01	01	0	15600-39100+5400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 12)
3.	तृतीय श्रेणी	वार्डन	01	0	01	9300-34800+3600 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 9)
4.	तृतीय श्रेणी	ग्रंथपाल	01	0	01	5200-20200+2800 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 7)
5.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	0	01	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग-2	01	0	01	5200-20200+1900 ग्रेड प (सातवें वेतन मान में लेवल 4)
7.	तृतीय श्रेणी	स्टेनोटाइपिस्ट	01	0	01	5200-20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 4)
8.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग-3	02	02	0	5200-20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 4)
9.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	02	02	0	4440-7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 1)
10.	संविदा	अधीक्षक शिक्षक, वर्ग-2	01	01	0	7000 / -
11.	चतुर्थ श्रेणी	दैनिक वेतन भोगी (स्थायी कर्मी)	06	06	0	शासन द्वारा निर्धारित वेतन पर
12.	चतुर्थ श्रेणी	रसोईया, पानीवाला, फर्लाश, चौकीदार, भृत्य	06	06	0	आउटसोर्सिंग के आधार पर

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :- म0प्र0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	आयोग में स्वीकृत पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद	रिक्त पद
1	सचिव (राज्य प्रशासनीक सेवा)	15600-39100+6600 (सातवें वेतन मान में लेवल 13)	1	0	01
2	उपसंचालक	15600-39100+6600 (सातवें वेतन मान में लेवल 13)	1	0	1
3	अनुसंधान अधिकारी	15600-39100+6600 (सातवें वेतन मान में लेवल 13)	1	0	1 अतिरिक्त प्रभार में
4	निजसचिव	9300-34800+4200 (सातवें वेतन मान में लेवल 10)	4	0	4
5	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800+3600 (सातवें वेतन मान में लेवल 9)	1	0	1
6	निज सहायक	9300-34800+3600 (सातवें वेतन मान में लेवल 9)	4	1	3
7	प्रोग्रामर	9300-34800+3200 (सातवें वेतन मान में लेवल 8)	1	1	0
8	शीघ्रलेखक वर्ग-3	5200-20200+2800 (सातवें वेतन मान में लेवल 7)	1	1	0
9	लेखापाल	5200-20200+2400 (सातवें वेतन मान में लेवल 6)	1	0	1
10	अन्वेषक	5200-20200+2400 (सातवें वेतन मान में लेवल 6)	1	0	1
11	सहायक ग्रेड-2	5200-20200+2400 (सातवें वेतन मान में लेवल 6)	1	1	0
12	संगणक	5200-20200+2100 (सातवें वेतन मान में लेवल 5)	1	0	1
13	स्टेनोग्राफिस्ट	5200-20200+1900 (सातवें वेतन मान में लेवल 4)	2	0	2
14	सहायक ग्रेड-3	5200-20200+1900 (सातवें वेतन मान में लेवल 4)	1	1	0
15	वाहनचालक (स्थाई कर्मी)	4500-80-7500	4	3	1
16	भृत्य (स्थाई कर्मी)	4000-80-7000	13	11	2
17	चौकीदार (स्थाई कर्मी)	4000-80-7000	1	1	0
18	फर्राश (स्थाई कर्मी)	4000-80-7000	1	1	0

मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग :- राज्य अल्पसंख्यक आयोग के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है-

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	37400-67000+8700	01	0	01
2.	अनुसंधान अधिकारी	9300-34800 पीबी-2	01	0	01
3.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800 पीबी-2	01	0	01
4.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9300-34800 पीबी-2	01	0	01
5.	निज सचिव	9300-34800 पीबी-2	01	01	0
6.	शीघ्रलेखक-वर्ग-2	9300-34800 पीबी-2	01	01	0
7.	सहायक वर्ग-1	5200-20200+2800 (सातवें वेतन मान में लेवल 7)	01	0	1
8.	सहायक वर्ग-2	5200-20200+2400 (सातवें वेतन मान में लेवल 6)	02	02	0
9.	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900 (सातवें वेतन मान में लेवल 4)	04	02	02
10.	वाहन चालक	5200-20200+1900 (सातवें वेतन मान में लेवल 4)	01	01	0
11.	भृत्य	4440-7440 एस-1 (सातवें वेतन मान में लेवल 01)	03	03	0
12.	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर	02	01	01
13.	भृत्य	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर	01	01	0

म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण हेतु स्वीकृत पद:-

वक्फ अधिकरण में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	01	01	—	51550—58930
2	राज्य प्रशासनिक सेवा	सदस्य	01	01	—	15600—39100+7600 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 14)
3	मुस्लिम विधि शास्त्री	सदस्य	01	0	01	मानदेय पर
4	तृतीय श्रेणी	शीघ्र लेखक	01	0	01	5200—20200+2800 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 7)
5	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	01	0	5200—20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
6.	तृतीय श्रेणी	प्रस्तुतकार	01	01	0	5200—20200+2100 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 4)
7	तृतीय श्रेणी	साक्ष्य लेखक	01	01	0	5200—20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 4)
8	चतुर्थ श्रेणी	आदेशिका लेखक	01	01	0	5200—20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 4)
9	तृतीय श्रेणी	प्रतिलिपिकार	01	01	0	5200—20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 4)
10	तृतीय श्रेणी	निष्पादन लिपिक	01	01	0	5200—20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 4)
11	चतुर्थ श्रेणी	आदेशिका वाहक	01	0	01	4440—7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 1)
12	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	02	01	01	4440—7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 1)
13	चतुर्थ श्रेणी	चौकीदार सह फर्राश .	01	01	0	4440—7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 1)
14	चतुर्थ श्रेणी	वाहन चालक (कलेक्टर दर)	01	01	0	स्थाई कर्मी पर विनियमित किया गया
15	संविदा	सहायक वर्ग-3	02	0	02	रु. 8000 /—प्रतिमाह
16	संविदा	भृत्य	02	0	02	रु. 5000 /—प्रतिमाह

जिला कार्यालयों हेतु स्वीकृत पद:-

पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत वर्ष 2012-13 से विभाग के नवीन जिला कार्यालय स्थापित किये गये तथा प्रत्येक जिले में सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है। जिला कार्यालय हेतु स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	संवर्ग	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	51	36	15	15600-39100+5400 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 12)
2.	तृतीय श्रेणी	निरीक्षक	51	35	16	9300-34800+3600 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 9)
3.	तृतीय श्रेणी	कनिष्ठ लेखाधिकारी	51	13	38	5200-20200+2800 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 7)
4.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	50	08	42	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
5.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-2	51	24	27	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-3	51	51	0	5200-20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 5)
7.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	51	34	17	4440-7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 1)
8.	तृतीय श्रेणी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	50	50	0	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 1 पद)
9.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/फर्राश कम चौकीदार	100	48	52	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 2 पद)

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ :

विभाग के अंतर्गत निम्न मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ स्थापित हैं—

1. मण्डल/उपक्रम - म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम.

2. संस्थाएँ -

1. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
2. राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल
3. मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग
4. मध्यप्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण
5. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड
6. मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी
7. मसाजिद कमेटी, भोपाल
8. सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल

1.4 विभाग के दायित्व :-

1.4.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण (दिनांक 12-9-95 को अधिसूचित) :

1. पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रम
2. लोक सेवा, निगमों तथा विभिन्न आयोगों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
3. शैक्षणिक संस्थाओं में तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
4. पिछड़े वर्गों को अन्य सुविधाएँ
5. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कार्य
6. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से संबंधित कार्य
7. पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियाँ

1.4.2 अल्पसंख्यक कल्याण :

1. वक्फ और उससे संबंधित विषय.
2. अल्पसंख्यकों के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम.
3. अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित विषय.
4. राज्य के लिये हज समिति तथा भूतपूर्व भोपाल रियासत की मसाजिद समिति से संबंधित विषय.
5. अल्पसंख्यकों से संबंधित शेष समस्त विषय.

भाग-दो

बजट प्रावधान विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) 2018-2019

अ पिछड़ा वर्ग कल्याण -कुल बजट प्रावधान रु. **96119.46** लाख

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (रु.लाख में)	31 मार्च, 2019, तक व्यय (रु.लाख में)
1	2	3	4
1	जिला तथा परियोजना प्रशासन	1572.12	1347.33
2	निर्देशन और प्रशासन	304.19	279.59
3	राज्य छात्रवृत्ति-(योजना स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित)	16627.34	16627.34
4	परिचय पत्र का प्रदाय	60.00	12.46
5	राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भोपाल	128.19	90.50
6	रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार	25.50	22.50
7	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	282.43	140.59
8	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	0.0	0.0
9	आश्रम और छात्रावास	767.21	493.46
10	छात्रगृह योजना	100.80	66.53
11	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	56935.00	46426.79
12	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)	9240.00	7365.31
13	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	16.00	14.30
14	उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	550.00	595.43
15	छात्रवृत्ति फार्मों का मुद्रण	1.26	0.0
16	विभागीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार	17.00	781.97
17	पिछड़ा वर्ग समुदायों का अनुसंधान एवं मूल्यांकन	10.00	0.0
18	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना	3000.00	2755.66
19	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	135.00	104.50
20	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	941.40	496.24
21	बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	2500.00	6903.00
22	म0प्र0पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजना	5.00	1.75
23	म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (स्थापना)	66.00	59.40
24	संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा	160.00	153.10
	योग - मुख्यशीर्ष 2225	93444.44	84737.75
	मुख्यशीर्ष 4225 :-		
25	संचालनालय की स्थापना	5.00	0.00
26	म0प्र0 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (अंशपूजी)	0.01	0.00
27	जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण:- राज्य का हिस्सा	228.00	228.00
	केन्द्र का हिस्सा	342.00	123.82
28	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण:-	0.01	
	राज्य का हिस्सा	210.00	981.53
	केन्द्र का हिस्सा	1890.00	1333.35
	योग - मुख्यशीर्ष 4225	2675.02	
	कुल महायोग-मुख्यशीर्ष 2225+4225	96119.46	86071.10

बजट प्रावधान विहंगावलोकन वर्ष 2018-19

ब. अल्पसंख्यक कल्याण -कुल बजट प्रावधान- रु. 3118.37 लाख

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान (रु.लाख में)	31 मार्च,2019 तक व्यय (रु.लाख में)
1.	वक्फ कमिश्नर का कार्यालय	4.12	3.34
2.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग	179.86	130.19
3.	मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को सहायक अनुदान	120.00	108.00
4.	मसाजिद कमेटी भोपाल को सहायक अनुदान	120.00	133.00
5.	मध्यप्रदेश हज कमेटी को सहायक अनुदान	50.00	45.00
6.	चर्च एवं दरगाह को सहायक अनुदान	45.00	27.89
7.	वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	168.21	95.48
8.	पोस्टमैट्रिक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास	58.17	23.46
9.	बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	500.00	500.00
10.	अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	51.00	0.00
11.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (अल्पसंख्यक)	640.00	604.31
12.	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (अल्पसंख्यक)	100.00	36.17
13.	मध्यप्रदेश हज कमेटी को हज हाऊस के निर्माण हेतु अनुदान	10.00	0.00
14.	राज्य छात्रवृत्तियां (केन्द्र प्रवर्तित-0701/केन्द्र क्षेत्रीय-0801)	10.01	0.00
15.	अल्पसंख्यकों को मदरसा/शिक्षा प्रदान करना	450.00	0.00
16.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय-0801)	7.00	0.00
17.	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय-0801)	5.00	0.00
18.	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्रीय-0801)	600.00	23.31
19.	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य (केन्द्र क्षेत्रीय)	00.00	0.00
	कुल योग	3118.37	1730.15

भाग-तीन

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :-

3.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँ:-

3.1.1 राज्य योजनाएँ:

(1) राज्य छात्रवृत्ति:-

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है । छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:-

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रु0 20.00	रु0 30.00
9 एवं 10	रु0 30.00	रु0 40.00

राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं. इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड़ से अधिक भूमि है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

वर्ष 2016-17 में कुल राशि रु. 150.43 करोड़ का प्रावधान किया जाकर राशि रुपये 150.43 करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई, जिसके विरुद्ध कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 33.03 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 132.24 करोड़ की राशि राज्य छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं एवं 12वीं जोड़कर) के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। वर्ष 2017-18 में रुपये 161.00 करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई । जिसके विरुद्ध कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 33.84 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 138.01 करोड़ (कक्षा 11वीं एवं 12वीं जोड़कर) छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई । वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 166.27 करोड़ का प्रावधान किया जाकर राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 30.98 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 191.34 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई।

(2) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:-

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से रु. 3.00 लाख से कम हो। वित्तीय वर्ष 2013-14 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है एवं समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का बजट प्रावधान राज्य छात्रवृत्ति मद अंतर्गत किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-01/11/54-1 दिनांक 12-12-2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2003 में आंशिक संशोधन कर संशोधित नियम 2013 जारी किये गये हैं। जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं :-

1. छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस आशय का स्पष्ट प्रमाणपत्र संस्था के प्राचार्य द्वारा संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति का वितरण आनलाइन, नियमानुसार एवं पात्रतानुसार किया जाता है।
2. छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णतः शिक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय सहित ऑनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में किया जाता है।
3. कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व वित्तीय वर्ष 2013-14 से स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना मद में किए गए प्रावधान से किया जाता है। अतएव कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के छात्रों को छोड़कर पोस्टमैट्रिक कक्षाओं के शेष छात्रों का भुगतान पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बजट प्रावधान से किया जाता है।
4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की औसत 75 प्रतिशत वार्षिक उपस्थिति एवं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पुष्टि के पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रम की मान्यता, वास्तविक विद्यार्थियों के प्रवेश, संस्था की मान्यता का पूर्ण परीक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जाए। कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी (बीमारी आदि की स्थिति को छोड़कर) संबंधित कोर्स की परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेवें तथा विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान ऑनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जावेगा।
5. म.प्र.शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 1038/1374/2016/54-1, दिनांक 5/10/2016 के द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ही मान्य की जाए जो कि वर्तमान में रुपये 1.00 लाख वार्षिक निर्धारित है। ऐसी छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने पर अतिरिक्त व्यय भार की पूर्ति भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से की जाएगी।

6. मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-3/2015/54-1 दिनांक 19-06-18 द्वारा राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 05/06/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार शासन आदेश क्रमांक एफ-12-01/11/54-1, दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले प्रतिस्थापित संशोधित विनियम 2013 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

1. नियम कण्डिका क्रमांक 3.11 में संशोधन किया जाता है कि-पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से रु. 3.00 लाख से कम हो।
2. नियम कण्डिका क्रमांक 5.1 -अनुरक्षण भत्ता में निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं :-

समूह	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (रूपये प्रतिमाह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
समूह-1 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, भारतीय चिकित्सा में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बिया तथा होम्योपैथिक) बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नहीं हैं) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित विधि विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम सी.पी.एल./सी.ए./सी.एस./एम-फिल/पी.एच.डी/डी.एस.सी/डी.लिट/एल.एल.एम. आदि	रूपये 850/-	रूपये 380/-
समूह-2 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बिया तथा होम्योपैथिक) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध/होटल प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम, नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रबंध, चार्टर्ड एवं लागत/निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	रूपये 450/-	रूपये 230/-
समूह-3 बी.ए/बी.एस.सी/बी.काम/बी.एड, समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम एवं अन्य जो समूह 1 और 2 में शामिल नहीं है।	रूपये 400/-	रूपये 230/-
ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमिडियेट परीक्षा आदि	रूपये 400/-	रूपये 230/-

3. नियम कण्डिका क्रमांक 5.3 – फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

- 5.3.1 विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएं, विकित्ता-जॉच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जायेगा परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिपूर्ति जमा जैनी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।
- 5.3.2 भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 5.3.3 राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 5.3.4 अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज)/अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 5.3.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई. (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़े वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
- 5.3.6 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा। शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मेधावी छात्र योजना के समान दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रुपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पांच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रुपये पच्चीस लाख होगी।

उपरोक्तानुसार आदेश शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रभावशील होगा।

वर्ष 2016-17 में 4.35 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि रुपये 507.73 करोड़ स्वीकृत की गई। गत वर्ष 2017-18 में 4.50 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि रु. 573.96 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3.64 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि रु. 527.27 करोड़ स्वीकृत की गई।

(3) राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र: (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल :-

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु साधनविहीन युवक-युवतियों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा/कर्मचारी चयन आयोग/प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/रेल्वे/बीमा क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण, इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से चयनित प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ति रुपये 350/- प्रतिमाह, निःशुल्क आवास सुविधा एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांक की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है।

गत वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षण केन्द्र को राशि रु. 105.89 लाख (ग्योबल सम्मिलित) का आवंटन जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध केन्द्र द्वारा रुपये 81.53 लाख (ग्योबल सम्मिलित) व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2017-18 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 123 प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 60 प्रशिक्षणार्थियों को एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु 15 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में 33 प्रशिक्षणार्थी, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में 20 प्रशिक्षणार्थी एवं साक्षात्कार परीक्षा उपरांत केन्द्र से प्रशिक्षित कुल 08 प्रशिक्षणार्थी राज्य सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर चयनित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण केन्द्र को राशि रु. 128.19 लाख का आवंटन जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध केन्द्र द्वारा रुपये 85.27 लाख व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2018-19 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 125 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसकी परीक्षा आगामी जून, 2019 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 39 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 15 प्रशिक्षणार्थी एवं मुख्य परीक्षा में 08 प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं।

(4) छात्रगृह योजना: - विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की पात्रता रखते हों के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को किराए के भवन में रहने पर भवन किराये की प्रतिपूर्ति निर्धारित दर से शासन द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्रगृहों हेतु किराए के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र रुपये 1000/- की दर से निर्धारित किया है।

वर्ष 2016-17 में राशि रु. 101.78 लाख का प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 61.17 लाख व्यय कर 669 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 100.80 लाख का प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 72.44 लाख व्यय कर कुल 703 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 100.80 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध मार्च, 2019 तक राशि रु. 60.00 लाख व्यय की जाकर 972 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

(5) स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार :-

पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरुष सम्मिलित होते हैं प्रत्येक समाजसेवी को रुपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 15 (7 पुरुष एवं 8 महिला) समाज सेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2018-19 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016-17 हेतु 15 (8 पुरुष एवं 7 महिला) समाजसेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2018-19 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राशि रु. 25.50 लाख का प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध मार्च 2019 तक राशि रु. 22.50 लाख का व्यय किया गया है।

(6) महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार:-

यह पुरस्कार प्रदेश के 01 पुरुष समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्गों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास को दूर करने, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उत्कृष्ट सेवा तथा साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन आदि कार्य किए हों। इस पुरस्कार से पुरस्कृत एक समाजसेवी को रुपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष 2018-19 में वर्ष 2016-17 का पुरस्कार एक पुरुष को प्रदान किया गया।

(7) सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार:-

यह पुरस्कार प्रदेश की 01 ऐसी महिला समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हों। इस पुरस्कार से पुरस्कृत एक समाजसेवी को रुपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष 2018-19 में वर्ष 2016-17 का पुरस्कार एक महिला को प्रदान किया गया।

(8) राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन:-

इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर निम्न तालिका अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है :-

क्र.	विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रु. में	
		संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
1.	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
3.	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
	योग:	100000	50000

वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 150.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 148.65 लाख की राशि व्यय कर 884 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 152.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 147.40 लाख की व्यय किया जाकर कुल 914 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 160.00 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रु. 91.20 लाख व्यय की जाकर 489 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई।

(9) विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:-

चयनित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (Ph.D) एवं शोध उपाधि उपरांत (Post doctoral Studies) कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वर्ष 2018-19 से पिछड़ा वर्ग के 10 विद्यार्थियों के स्थान पर 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016-17 में राशि रु. 500.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 497.82 लाख व्यय किये जाकर 24 विद्यार्थियों (नवीन एवं नवीनीकरण सहित) को छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत कर वितरित की गई। गत वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 502.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध रु. 485.29 लाख व्यय किये जाकर नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 22 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 650.00 लाख के उपलब्ध प्रावधान के विरुद्ध रुपये 595.43 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 26 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

(10) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना :-

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि, उद्योग, व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008-09 से लागू की गई थी। वर्ष 2013-14 से इस योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समाहित किया गया है। वर्ष 2018 से उक्त योजना की वार्षिक आयसीमा में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार "आयसीमा में कोई बंधन नहीं हैं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो"। हितग्राहियों को न्यूनतम रुपये 50,000 से अधिकतम रुपये 10.00 लाख तक की कार्य योजना स्वीकृत की जा सकती है तथा मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत की 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.00 लाख होगी। परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रुपये 25,000 प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगा। जिला स्तर पर यह योजना सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है तथा प्रतिवर्ष जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में राशि रु. 2500.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध रु. 2500.00 लाख व्यय किये जाकर 1979 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 2400.00 लाख के उपलब्ध बजट प्रावधान के विरुद्ध रु. 2377.19 लाख व्यय किये जाकर 2001 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 3000.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध 1978 हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रु. 2755.66 लाख व्यय किये गये।

(11) मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग आर्थिक कल्याण योजना :-

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग के बी.पी.एल कार्डधारी पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को कम लागत की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गई है। योजना अंतर्गत अधिकतम रु. 50,000/- की परियोजना लागत रहती है जिस पर अधिकतम रु. 15,000/- का अनुदान दिया जाता है।

गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 100.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 85.97 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया जाकर 729 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 135.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि रु. 104.50 लाख व्यय किया जाकर 655 हितग्राहियों को अनुदान राशि स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है।

(12) पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना :-

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

गत वर्ष 2017-18 में रु. 2000.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 8525 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि रु. 6903.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध राशि रु. 6903.00 लाख व्यय किये जाकर कुल 20060 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है।

(13) पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति:-

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना नियम 2010 लागू किये गए हैं जिसमें जिला स्तर पर इस वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं बोर्ड में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 5,000 एवं कक्षा 12वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रुपये 10,000 का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है।

वर्ष 2016-17 में राशि रु. 16.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रु. 15.35 लाख की राशि व्यय की गई है। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 16.00 लाख का प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 15.30 लाख व्यय किये जाकर 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 16.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध राशि रु. 14.30 लाख व्यय किये जाकर कुल 208 विद्यार्थियों को मेधावी छात्रवृत्ति स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है।

(14) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना:-

व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की गई पीईटी/पीपीटी एवं एमसीए की प्रवेश पूर्व परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पीईटी/पीपीटी एवं

एमसीए छात्र-छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमांक रु. 1,00,000, रु. 50,000 एवं रु. 25,000 की राशि पुरस्कार में दिए जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2016-17 में राशि रु. 5.25 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रु. 1.75 लाख व्यय कर 3 अभ्यर्थियों को लाभांशित किया गया है। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 5.00 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रु. 1.75 लाख व्यय कर 3 अभ्यर्थियों को लाभांशित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 5.00 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रु. 1.75 लाख व्यय की जाकर 3 अभ्यर्थियों को प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार राशि स्वीकृत कर वितरित की गई।

3.1.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

(1) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास:-

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

वर्ष 2016-17 में राशि रु. 240.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध सम्पूर्ण राशि रुपये 240.00 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 470.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध रुपये 183.29 लाख की राशि निर्माण एजेन्सी को हस्तांतरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध मार्च, 2019 तक राशि रु. 351.83 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 68.26 लाख व्यय की गई है।

(2) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास :-

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत् कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। जिला शाजापुर में भी 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो कर संचालित है। संभागीय मुख्यालय जबलपुर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। जिला दमोह में एक अतिरिक्त 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्णतः की ओर है। इसी प्रकार जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 473.72 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि रु. 473.71 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 1425.01 लाख प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि रु. 841.79 लाख का व्यय किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि रुपये 2100.01 लाख प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध मार्च, 2019 तक कुल राशि रु. 1191.54 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 942.29 लाख व्यय की गई है।

3.2 अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ :-

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से संचालित योजनाएँ :-

(1) मेरिट कम मीन्स योजना :-

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरण हेतु समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 1000 एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक अनुरक्षण भत्ता एवं पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में वास्तविक शुल्क अथवा रु. 20000 जो भी कम हो, दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित/ अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की पात्र संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पूरी पाठ्यक्रम फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है।

वर्ष 2016-17 में 5765 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये। वर्ष 2017-18 में 8433 विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑनलाइन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया गया। वर्ष 2018-19 में 2682 विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाइन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया गया।

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाइन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :-

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को (जिनके प्राप्तांक 50% या उससे अधिक है तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक न हो) उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरणों हेतु समुदायवार पृथक-पृथक कोटा निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक समुदाय में 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं को रु. 7,000 प्रतिवर्ष एवं कक्षा 11वीं, 12वीं के स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु रु. 10,000 प्रतिवर्ष तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों हेतु रु. 3000 प्रतिवर्ष प्रवेश एवं

ट्यूशन फीस दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 230 प्रतिमाह एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 570 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 300 प्रतिमाह तथा इसी प्रकार एम0 फिल0 एवं पी0एच0डी0 के छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 1200 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रु. 550 प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

वर्ष 2016-17 में कुल 29643 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृती हेतु अग्रेषित किये गये। वर्ष 2017-18 में 29,406 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑनलाईन स्वीकृती हेतु अग्रेषित किये गये। वर्ष 2018-19 में 27897 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृती हेतु अग्रेषित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

(3) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय की मेरिट के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो। अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरणों हेतु समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है।

वर्ष 2016-17 में कुल 1,44,011 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृती हेतु अग्रेषित किये गये। वर्ष 2017-18 में 1,13,783 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑनलाईन स्वीकृती हेतु अग्रेषित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,16,677 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृती हेतु अग्रेषित किया गया है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

3.2.1 भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना:-

(4) भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री जन विकाय कार्यक्रम योजना:-

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश में ऐसे जिलों का चिन्हांकन किया गया है जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 25 प्रतिशत या अधिक अथवा 5 लाख से अधिक हो। इस आधार पर मध्यप्रदेश में भोपाल जिले का चयन अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले के रूप में किया गया है एवं भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला भोपाल हेतु रुपये 15.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, स्वीकृत/प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	3 अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास का निर्माण	360.00	03 छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण, 02 छात्रावास संचालित, 01 छात्रावास वर्ष 2019-20 से संचालन प्रारम्भ होगा।
2	158 (संशोधित) आंगनवाड़ियों के निर्माण	600.00	143 पूर्ण, शेष 15 निर्माणाधीन
3	978 (संशोधित) इंदिरा आवासों का निर्माण	337.50	886 पूर्ण, शेष 92 निर्माणाधीन
4	100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास	190.00	निर्माण कार्य पूर्ण। वर्ष 2019-20 से संचालन प्रारम्भ होगा।
5	आई.टी. सेल का गठन	12.50	संचालित

प्रदेश के लिए स्वीकृत कार्य योजना रु. 15.00 करोड़ के विरुद्ध अब तक भारत सरकार द्वारा रुपये 1493.30 लाख की धनराशि प्रदान की गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश के चार जिलों श्योपुर, बुरहानपुर, खरगौन, महू केन्द्र इन्दौर के अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बे चयनित किए गये हैं। इन कस्बों में रुपये 2768.18 लाख की प्राथमरी स्कूल भवन, कौशल विकास भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा तीन 100 सीटर अल्पसंख्यक कन्या

छात्रावास सह कम्प्यूटर केन्द्र, चार क्लास रूम, टायलेट ब्लॉक्स, महाविद्यालय में सेकण्ड फ्लोर का निर्माण सदभावना मण्डप आदि निर्माण योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है :-

(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	शयोपुर/शयोपुर शहर		बुरहानपुर		खरगौन		महू केन्ट इन्दौर	
		यूनिट	लागत	यूनिट	लागत	यूनिट	लागत	यूनिट	लागत
1	प्राथमरी स्कूल बिल्डिंग	—	—	—	—	—	—	02 निर्माणाधीन	39
2	कौशल विकास केन्द्र	01 पूर्ण	68.80	01 पूर्ण	68.80	01 पूर्ण	68.80	01 निर्माणाधीन	68.80
3	ऑगनबाड़ी	05 पूर्ण, 03 निर्माणाधीन	65.84	14 पूर्ण, 02 निर्माणाधीन	132.80	—	—	—	—
4	100 सीटर कन्या छात्रावास सहकम्प्यूटर केन्द्र	01 निर्माणाधीन	279.04	01 निर्माणाधीन	279.04	01 निर्माणाधीन	279.04	01	255.55 निर्माण प्रारम्भ होना है
5	क्लास रूम शा.उर्दू मिडिल स्कूल लालबाग	—	—	04 निर्माणाधीन	21.18	—	—	—	—
6	गल्स हा.से.स्कूल नं.1 में टायलेट का निर्माण	—	—	—	—	01 निर्माणाधीन	3.90	—	—
7	शा.पी.जी.कॉलेज में सेकण्ड फ्लोर का निर्माण	—	—	—	—	01 निर्माणाधीन	58.39	—	—
8	सदभावना मण्डप	01	269.80 निर्माण प्रारम्भ होना है	01	269.80 निर्माण प्रारम्भ होना है	01	269.80 निर्माण प्रारम्भ होना है	01	269.80 निर्माण प्रारम्भ होना है
	योग :-		683.48	—	771.62	—	679.93	—	633.15

कुल महायोग राशि रूपये 2768.18 लाख

गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 600.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि रु. 243.00 लाख व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 600.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध मार्च 2019 तक राशि रु. 23.31 लाख का व्यय किया गया है।

3.2.3. राज्य योजनाएँ :-

(1) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना :-

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि, उद्योग, व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई थी। वर्ष 2013-14 से इस योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समाहित किया गया है। वर्ष 2018 से उक्त योजना की वार्षिक आयसीमा में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार "आयसीमा में कोई बंधन नहीं हैं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो"। हितग्राहियों को न्यूनतम रुपये 50,000 से अधिकतम रुपये 10.00 लाख तक की कार्य योजना स्वीकृत की जा सकती है तथा मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत की 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.00 लाख होगी। परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रुपये 25,000 प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगा।

योजना में वर्ष 2016-17 में राशि रु. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध रु. 360.00 लाख व्यय किये जाकर 350 हितग्राहियों को लाभांशित किया गया है। गतवर्ष 2017-18 में राशि रुपये 400.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 381.70 लाख का अनुदान व्यय कर 353 हितग्राहियों को लाभांशित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 640.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि रु. 604.31 लाख व्यय किये जाकर कुल 430 हितग्राहियों को लाभांशित कर किया गया।

(2) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक आर्थिक कल्याण योजना :-

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग के बी.पी. एल. कार्डधारी अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को कम लागत की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गई है। योजना अंतर्गत अधिकतम रु. 50,000/- की परियोजना लागत रहती है जिस पर अधिकतम रु. 15,000/- का अनुदान दिया जाता है।

गत वर्ष 2017-18 में रुपये 100.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राशि रु. 59.01 लाख का व्यय किया जाकर 128 हितग्राहियों को लाभांशित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रु. 36.17 लाख व्यय किये जाकर 263 हितग्राहियों को लाभांशित किया गया है।

(3) मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :-

अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाएँ एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को 03 मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ की है। प्रत्येक पुरस्कार रुपये 1 लाख का होगा। तीन पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. शहीद असफाक उल्लाह खां पुरस्कार-अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए।
2. शहीद हमीद खां पुरस्कार -राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए।
3. मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार-साहित्य, कला, रंगकर्म एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु।

वर्ष 2014-15 के लिए 3 समाजसेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष 03 (2 पुरुष एवं 1 महिला) समाजसेवियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए समाज सेवियों के चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया जाकर ज्यूरी की बैठक सम्पन्न हो गई है। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होना शेष है।

(4) अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना :-

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

गत वर्ष 2017-18 में रु. 400.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 1595 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि रु. 500.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध राशि रु. 500.00 लाख व्यय किये जाकर कुल 1446 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है।

3.3 अभिनव योजनाएं

- संभागीय मुख्यालय इन्दौर, जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर में भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें से इन्दौर में 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा जबलपुर में 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 से छात्रावास योजना का विस्तार करते हुए पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विकासखण्ड स्तर पर एक-एक 50 सीटर बालक एवं कन्या छात्रावास भवन किराये पर लेकर संचालित करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई है।

4.1 म0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

4.1.1 गठन:- मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा किया गया ।

4.1.2 आयोग के कार्य:- (म.प्र.पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार आयोग के निम्न कार्य है :-

1. राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने/विलोपित करने की अनुशंसा करना ।
2. पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की मानिट्रिंग करना व राज्य सरकार को अनुशंसा करना ।
3. क्रीमीलेयर की सीमा के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंसा करना ।
4. लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में सलाह देना ।
5. पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में कार्य करना ।

आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है, वहां वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी। आयोग के सचिव को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त है :-

- (1) श्री दयानंद कुशवाहा, सदस्य
- (2) श्री आशाराम यादव, सदस्य,
- (3) आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, आयोग के पदेन शासकीय सदस्य है।

4.1.3 आयोग के द्वारा किए गये कार्य :-

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक 6 बैठक आयोजित की गई।
- दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 तक कुल 52 शिकायत आयोग को प्राप्त हुई जिनमें से 25 निराकृत हुई एवं 27 चलन में है।

4.1.4 बजट:- गत वर्ष 2017-18 में रु. 186.69 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 99.72 लाख का व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोग के कार्यों के लिए रु. 282.43 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध मार्च, 2019 तक राशि रुपये 105.36 लाख का व्यय किया गया।

4.2

म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996, दिनांक 23-10-96 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत नए आयोग का गठन उसी दिनांक से हो गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल है। आयोग में अशासकीय सदस्यों के रूप में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों के पद स्वीकृत हैं, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष होता है।

4.2.1

आयोग का दायित्व :-

1. अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये भारत के संविधान में, राज्य में विधियों में उपबंधित किए गये विविध सुरक्षा उपायों के कार्यक्रमों की निगरानी तथा समीक्षा करना।
2. राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
3. सुरक्षा उपायों तथा विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये अनुशंसा करना।
4. अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना और ऐसी शिकायतों को समुचित प्राधिकारियों तक पहुंचाना।

4.2.2

आयोग के द्वारा किए गए कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त 187 शिकायतों पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कार्यवाही की गई। माननीय आयोग द्वारा प्रकरणों के संबंध में आयोग की बैंच द्वारा 26 सुनवाईया की गई, जिनमें से 35 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं अन्य शिकायतें अलग-अलग विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 तक आयोग की 07 बैठकें आयोजित की गई।

आयोग के पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं, उनसे जुड़े मामलों की जांच के लिए विभिन्न जिलों में भ्रमण कर अल्पसंख्यक समुदायों की विभिन्न समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण किया गया है। आयोग ने ग्वालियर संभागीय मुख्यालय पर संभाग में विभिन्न विभाग द्वारा चलाये जा रहे अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की। इसी प्रकार आयोग ने रायसेन, राजगढ़, छतरपुर, बुरहानपुर, सागर, रतलाम आदि जिलों में चल रहे अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों की जिला मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की गई।

आयोग के पदाधिकारियों ने इस अवधि में अल्पसंख्यक बाहुल्यता वाले जिलों व क्षेत्रों का दौरा कर अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मामलों के निराकरण तथा साम्प्रदायिक सदभाव, शांति व्यवस्था आदि बनाये रखने के उपयुक्त प्रयास किये तथा इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितार्थ किया गया है।

4.2.3 बजट:-

गत वर्ष 2017-18 में कुल राशि रु. 110.41 लाख का बजट प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध राशि रु. 93.66 लाख व्यय की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 179.86 लाख का बजट प्रावधान हुआ है, जिसके विरुद्ध राशि रु. 116.86 लाख व्यय की गई है।

4.3 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल

4.3.1 निगम की स्थापना एवं उद्देश्य:-

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन वर्ष 1994 में कंपनी अधिनियम-1956 की धारा-25 के अंतर्गत हुआ है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्र. 10-08670 दिनांक 29-09-1994 है। निगम एक अलाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

4.3.2 निगम की प्रशासकीय संरचना :-

वर्तमान में निगम में कुल 23 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 17 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम के संचालक मण्डल में 09 शासकीय सदस्य हैं। वर्तमान में अशासकीय सदस्य के रूप में 01 अध्यक्ष एवं 01 उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं।

4.3.3 मंत्री-परिषद की स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय निगमों की समझौता योजनांतर्गत 5 प्रतिशत दायित्व ब्याज की छूट प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा निगम को ऋण के रूप में राशि रु. 36 करोड़ उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय निगमों की भुगतान की जाने वाली ओवरड्यू राशि (मूलधन एवं ब्याज) का जुलाई, 2014 तक चार किस्तों में भुगतान किया जावे। उक्त के परिप्रेक्ष्य में चार किस्तों में राशि रुपये 3558.18 लाख प्राप्त हुये हैं, जिसमें निगम द्वारा वसूली की राशि मिलाकर कुल राशि रु. 36.00 करोड़ का भुगतान दिनांक 30-9-2015 को किया जा चुका है। राष्ट्रीय निगमों की ओवरड्यू राशि का भुगतान करने के पश्चात दिनांक 1-4-2012 के पश्चात राष्ट्रीय निगमों की शेष अतिदेय राशि रु. 447.98 लाख का भुगतान किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों को कोई भी राशि देना शेष नहीं है। प्राप्त कुल ऋण राशि रुपये 4879.08 लाख के विरुद्ध अब तक राष्ट्रीय निगमों को राशि रुपये 2328.75 लाख भुगतान की जा चुकी है। जो कि वसूली राशि का 47.73 प्रतिशत है। निगम द्वारा राज्य शासन से प्राप्त ऋण के विरुद्ध वसूली के रूप में राशि रु. 98.59 लाख राज्य शासन के खातों में जमा किया गया है।

4.3.4 वसूली की कार्ययोजना :-

ऋण वसूली हेतु एक मुश्त समझौता योजना का प्रावधान म.प्र.शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों से वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना स्वीकृत की गई है। उक्त संबंध में राष्ट्रीय निगमों द्वारा दायित्व ब्याज की छूट के पश्चात हितग्राहियों से मूलधन ही वसूल की जा रही है। उक्त योजना लागू होने के दिनांक से अब तक राशि रुपये 55.61 लाख की ऋण वसूली हो चुकी है।

4.3.5 राष्ट्रीय निगमों की योजनाएं :-

शासन स्तर पर विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयानुसार राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के स्थान पर राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन निगम के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों को कोई एक्शन-प्लान नहीं प्रेषित किया गया है।

4.3.6 वर्तमान में निगम द्वारा संचालित योजनाएं एवं उपलब्धियाँ - विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन निगम के माध्यम से किया जा रहा है उक्त योजना अंतर्गत गतवर्ष 2017-18

में निगम को कुल राशि रु. 24.00 करोड़ प्राप्त हुये है। राज्य स्तरीय रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल द्वारा चयनित सूची अनुसार निगम द्वारा संस्थाओं को भुगतान किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 21.00 करोड़ प्राप्त हुये जिसका भुगतान राज्य स्तरीय रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा प्रदाय चयनित सूची के आधार पर किया गया।

4.3.7

निगम के लेखों से संबंधित जानकारी:- निगम के वर्ष 2009-10 तक के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों को विधानसभा पटल पर रखा जा चुका है। वर्ष 2010-11 के अंकित लेखा प्रतिवेदन, महालेखाकार ग्वालियर की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2012-13 के प्रावधिक लेख तैयार किये जा चुके हैं। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लेखों को तैयार करने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति की गई है।

4.3.8

बजट :-गत वर्ष 2017-18 में राज्य शासन द्वारा निगम के स्थापना अनुदान हेतु राशि रुपये 60.00 लाख स्वीकृत किया गया था राज्य शासन द्वारा 10 प्रतिशत कटौती उपरान्त राशि रुपये 59.40 लाख उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य शासन द्वारा निगम के स्थापना अनुदान में राशि रु. 60.00 लाख स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन द्वारा 10 प्रतिशत कटौती उपरान्त निगम को राशि रु. 59.40 लाख उपलब्ध कराये गये हैं।

4.4 मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड :-

4.4.1

बोर्ड का गठन एवं उद्देश्य:- मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुक्षण नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करता है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013, 1 नवम्बर, 2013 से लागू किया गया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के लागू होने से पूर्व, वक्फ एक्ट 1995, (संशोधित) प्रशासक की नियुक्ति की गई है। धारा-23 के अंतर्गत इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यरत है। मध्यप्रदेश में स्थित वक्फों के प्रबंध, सुरक्षा एवं विकास के कार्यों को संचालित करने के उद्देश्य से बोर्ड की सहायता हेतु वक्फ अधिनियम की धारा-24 के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्त है।

म0प्र0 वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वामसी रिकार्ड अनुसार प्रदेश भर में लगभग 14887 वक्फ एस्टेट्स एवं 24,362 वक्फ सम्पत्तियां पंजीकृत एवं राजपत्रित हैं, जिनमें लगभग 5642 कब्रस्तान, 4524 मस्जिदें, 3484 दरगाहें, 581 ईदगाह, 46 स्कूल, 41 दारुल उमूल/मदरसे, 41 मुसाफिरखाना, 2912 दुकानें, 3792 मकानात एवं अन्य वक्फ सम्पत्तियां सम्मिलित हैं, साथ ही वक्फ कृषि भूमियों की संख्या 1342 है जिनका क्षेत्रफल लगभग 5791.143 हैक्टेयर है।

4.4.2 **वक्फ बोर्ड की योजनाएँ :-** वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फों की सुरक्षा, उन्नति एवं विकास के लिए मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किए जाते हैं :-

- (1) वक्फिया जायदादों पर निर्माण कार्य, जैसे स्थानीय आवश्यकता अनुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन, मुसाफिर खाना, इत्यादि का निर्माण करना।
- (2) वक्फों के विकास की जिला स्तरीय योजनाएँ, जैसे वक्फ की खुली भूमि एवं भवन में स्कूल, बैंक ए.टी.एम., टी.वी., रेडियो टावर तथा पेट्रोल पम्प आदि की स्थापना करना।
- (3) वक्फों के विकास के लिये सेमिनार का आयोजन।
- (4) वक्फ सम्पत्तियों की विडियोग्राफी, ताकि वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हो सके।
- (5) छात्रवृत्ति एवं मेरिट अवार्ड प्रदान किया जाना।
- (6) केन्द्र शासन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित वक्फ रिकार्ड कम्प्यूटाईजेशन का कार्य।

- (7) भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित वक्फ बोर्ड के सशक्तिकरण से संबंधित कार्य।
- (8) केन्द्रीय वक्फ परिषद, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिल्ली द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के अंतर्गत वक्फिया सम्पत्तियों का विकास करना आदि।
- (9) प्रदेश भर में स्थापित समस्त वक्फिया जायदादों का जी.पी.एस./जी.आई.एस. करना।

4.4.3. वक्फ बोर्ड की उपलब्धियाँ :-

1. वक्फ जायदादों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-54 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। विगत वर्षों में 4712 प्रकरण दर्ज किये जाकर कब्जाधारियों को धारा-54 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। विगत वर्षों में 4820 प्रकरण दर्ज किये जाकर कब्जाधारियों का धारा 54 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये हैं। इनमें से 3350 प्रकरणों में निर्णय लिये जाकर 326 में प्रकरणों में धारा-55 की कार्यवाही हेतु संबंधित एस.डी.एम. को भेजे गये हैं। 09 प्रकरणों से अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। वर्तमान में 1470 प्रकरण लंबित हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के उपरान्त धारा-54 के अंतर्गत वक्फिया सम्पत्तियों के कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही को सशक्त कर दिया गया है तथा 182 प्रकरण मध्यप्रदेश राज्य अधिकरण को धारा-54(4) के अंतर्गत भेजे गये हैं।
2. केन्द्र शासन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित वक्फ रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन योजना अंतर्गत म.प्र. वक्फ बोर्ड के रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन हेतु वामसी (वक्फ मैनेजमेन्ट सिस्टम ऑफ इण्डिया) ऑन लाईन माड्यूल में डाटा एन्ट्री का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। वक्फ रिकार्ड का वामसी डी.एम.सी. के माध्यम से डिजिटलाईजेशन हो चुका है। साथ ही वक्फिया सम्पत्तियों का केन्द्रीय सरकार के सहयोग से जी.पी.एस एवं जी.आई.एस. कराया जा रहा है। भोपाल जिला की लगभग 400 वक्फ सम्पत्तियों का जी.पी.एस. कराया जा चुका है जो वामसी ऑन लाईन माड्यूल में उपलब्ध है। उक्त कार्य से जहां वक्फिया सम्पत्तियों का रिकार्ड सुरक्षित हो पाया है वहीं प्रदेश भर में वक्फिया सम्पत्तियों के बारे में बेदारी आई है, जिससे लोग ऑन लाइन ही अपना रिकार्ड देख पाते हैं।
3. वामसी रजिस्ट्रेशन माड्यूल में 14898 (वक्फ स्टेट्स) एवं 24,386 वक्फ सम्पत्तियों के रिकार्ड मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान आदि के रूप में एन्ट्री की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त 237 चल सम्पत्तियां फीड की गई हैं। केन्द्रीय सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये अन्य माड्यूल्स जैसे लीजिंग माड्यूल में 134, रिटर्न फाइलिंग माड्यूल में 5582 एवं लिटीगेशन माड्यूल में 4204 (internal+ external case) प्रकरणों की जानकारी फीड की जा चुकी है।
4. वक्फों के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, तथा नगरीय वक्फिया जायदाद की उन्नति एवं निर्माण हेतु योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं तथा इनके निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। केन्द्र सरकार ने वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना कर दी गई है जो राज्य शासन के सहयोग से अमल में आएगी।
5. उच्च स्तरीय तालीम के क्षेत्र में एक बड़ी पहल- वक्फ बोर्ड द्वारा मुस्लिम बच्चों में तालीमी बेदारी लाने, उन्हें समक्ष बनाने एवं शाराकीय कार्य के संचालन में योगदान देने योग्य बनाने के लिये मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने जकात फाउण्डेशन आफ इण्डिया के साथ मिलकर आई.ए.एस., आई.पी.एस. आदि की तैयारी के लिए उच्च स्तर की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस उपलब्ध कराने हेतु बड़ी पहल की है जो वर्तमान में कार्यरत है।

6. भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की रिवाईज्ड अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड के सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।
7. म0प्र0 वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 58 वक्फ ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय रु. 5.00 लाख से अधिक है ऐसे अधिक आय वाली सम्पत्तियों के उचित प्रबंधन, आय में वृद्धि एवं सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना के उपरान्त मध्यप्रदेश वक्फ के चार बड़े वक्फों को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम द्वारा चिन्हित किया गया है। जो बोर्ड स्तर से विचाराधीन है। साथ ही भोपाल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु बोर्ड निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।
8. बोर्ड द्वारा 5 लाख रुपये से अधिक आय वाली सम्पत्तियों के उचित प्रबंध, आय में वृद्धि एवं सुरक्षा की दृष्टि से वक्फ एक्ट की धारा 38 के अंतर्गत कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं तथा वक्फों की कृषि भूमि की निलामी तहसीलदारों द्वारा कराई जा रही है। जिससे कृषि भूमि सुरक्षा एवं आय में वृद्धि हुई है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप वक्फ सम्पत्तियों की किराएदारी को पारदर्शी बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ पट्टा नियम 2015 (संशोधित) बनाये गये हैं जिसके अनुसार कार्य करने हेतु संबंधित मुतवल्लियों को पाबंद किया गया है।
9. पूर्व में कई ऐसी वक्फ सम्पत्तियां जो अनाधिकृत तरीके से विक्रय हो गई थी, उनकी रजिस्ट्रीयां रिस्त कराकर वापस वक्फ भूमि इन्द्राज कराई गई ।

4.4.4 बजट :- राज्य शासन द्वारा वक्फ बोर्ड को वार्षिक अनुदान दिया जाता है। गतवर्ष 2017-18 में बोर्ड को राशि रु. 84.15 लाख का शासकीय अनुदान एवं चंदा निगरानी/अन्य स्रोतों के रूप में राशि रुपये 168.11 लाख प्राप्त हुए थे, जिसके विरुद्ध कुल राशि रु. 217.56 लाख व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 120.00 लाख का शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ एवं चंदा निगरानी के रूप में राशि रु. 160.16 लाख प्राप्त हुए।

4.5 सर्वे वक्फ आयुक्त:-

सर्वे वक्फ आयुक्त, राज्य में विद्यमान वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, राज्य में स्थित वक्फों की संख्या, वक्फों का स्वरूप, उनके उद्देश्य, वक्फ में समाविष्ट संपत्तियों की सकल आय की रिपोर्ट का कार्य कर राज्य शासन को रिपोर्ट देता है। आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पदेन सर्वे वक्फ आयुक्त घोषित किया गया है। राज्य शासन ने समस्त कलेक्टर्स को विभागीय अधिसूचना क्र0 एफ-6-25/2008/54- 2, दि. 4.10.2008 द्वारा सर्वे कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। समस्त जिला कलेक्टर्स को कार्यालयीन अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/2553/09/दिनांक 01-01-2009 के माध्यम से वक्फ संपत्ति सर्वेक्षण कार्य किस प्रकार किया जाना है तथा जानकारी निर्धारित प्रपत्र जो पुस्तिका के पेज नं. 11-12 पर दिया गया है में किस प्रकार अंकित की जाना है जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों से प्राप्त सर्वेक्षण प्रपत्र जिला स्तर पर एकजाई कर समूचे जिले की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 15 कालमों में ही अंकित कर तीन प्रतियों में प्राप्त किए जा रहे हैं।

गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 3.46 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 2.47 लाख व्यय की गई तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 4.12 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके राशि रु. 3.34 लाख व्यय किये गये हैं।

4.6

मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी :

4.6.1

हज कमेटी का गठन एवं कार्य :- मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी का गठन हज अधिनियम 2002 (क. 35) की धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्य करती है। तत्कालीन कमेटी का कार्यकाल दिनांक 04-08-2017 को समाप्त हो चुका है। वर्तमान में नवीन मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी का गठन राज्य शासन द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष प्रदेश से हज के लिए जाने वाले यात्रियों को भेजने एवं समस्त व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व इस कमेटी का है।

4.6.2

हज वर्ष 2016 में प्रदेश से कुल 2878+6 हज यात्री हज पर भेजे गए तथा हज यात्रियों की सहायता हेतु 13 खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को सऊदी अरब भेजा गया था। हज वर्ष 2017 में प्रदेश से कुल 3741+1 हज यात्री हज पर भेजे गए तथा हज यात्रियों की सहायता हेतु 17 खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को साउदी अरब भेजा गया था। हज वर्ष 2018 में प्रदेश से कुल 4777+5 हज यात्री हज पर भेजे गए तथा हज यात्रियों की सहायता हेतु 21 खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को साउदी अरब भेजा गया था। 50 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन एवं 50 प्रतिशत हज कमेटी ऑफ इण्डिया के व्यय पर खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को सऊदी अरब भेजा गया था। हज वर्ष 2019 में प्रदेश से लगभग 6000 से अधिक हज यात्री हज पर जावेंगे, तथा हज यात्रियों की सहायता हेतु 21 खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को सऊदी अरब भेजा जावेगा।

4.6.3

हज यात्रियों की सुविधा हेतु मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों की देखभाल हेतु सऊदी अरब भेजे जा रहे खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) के फोटों एवं मोबाइल नम्बर युक्त कार्ड समस्त हज यात्रियों की उपलब्ध कराए गए तथा हज के पूरे 45 दिन के कार्यकाल के लिए एक 24 घण्टे कॉल सेन्टर भोपाल में स्थापित किया गया। इसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए।

4.6.4

प्रदेश हज यात्रियों की सुविधा हेतु भोपाल एवं इन्दौर में हज हाऊस निर्माण की कार्यवाहियां की जा रही है। भोपाल में हज हाऊस निर्माण हेतु ग्राम सिंगारचोली में 2.01 एकड़ भूमि पर निर्माण लागत रुपये 6,11,25,000 से निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष 2018 में भी हज यात्रा का संचालन भोपाल में निर्माण हज हाऊस भवन से किया गया। इसके अतिरिक्त इन्दौर में हज हाऊस निर्माण हेतु भूमि चयनित कर आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।

4.6.5

बजट- वर्ष 2016-17 में राशि रु. 48.40 लाख का बजट प्रावधान किया जाकर रु. 276.37 लाख व्यय किया गया। गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 40.00 लाख का बजट प्रावधान किया जाकर रु. 155.71 लाख व्यय किया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 50.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 31 मार्च 2019 तक लगभग राशि रुपये 55.00 लाख व्यय की गई।

मसाजिद कमेटी—

भोपाल, सीहोर एवं रायसेन जिलों में स्थित मस्जिदों की देखरेख के लिये मसाजिद कमेटी, भोपाल का गठन मर्जर अनुबंध के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किया जाता है। मसाजिद कमेटी द्वारा भोपाल, सीहोर एवं रायसेन की मसाजिद के ईमाम, पेश ईमाम व मोअज्जिनों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। मसाजिद कमेटी के अंतर्गत दारुल कजा, दारुल इफ्ता एवं मदरसा हमीदिया इस्लामिया हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मसाजिद कमेटी की शाखाओं द्वारा निकाह आदि की व्यवस्थाएं कराना एवं मुस्लिम समाज को धार्मिक परामर्श दिया जाता है।

4.7.1

बजट— गत वर्ष 2017-18 में मसाजिद कमेटी को राशि रु. 109.25 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया तथा राशि रु. 109.25 लाख का व्यय किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनर्विनियोजन सहित कुल राशि रु. 133.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई जिसके विरुद्ध राशि रु. 133.00 लाख का व्यय किया गया।

4.8

म.प्र. राज्य वक्फ न्यायाधिकरण :-

4.8.1

वक्फ सम्पत्तियों संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वक्फ न्यायाधिकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थ है। वक्फ अधिकरण में सम्पत्तियों से संबंधित विवादों के बारे में इस न्यायाधिकरण को मूल एवं अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार वक्फ बोर्ड के विरुद्ध अपील पेश कर सकता है। वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में इस अधिकरण का निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध अपील आदि का प्रावधान नहीं है।

4.8.2

प्रकरणों का निपटारा— न्यायाधिकरण में वर्ष 1995 से 31-03-2019 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या 5181 है जिसमें से 4696 प्रकरण निराकृत हो चुके हैं तथा 485 प्रकरण निराकरण हेतु शेष हैं।

4.8.3

बजट— गत वर्ष 2017-18 में राशि रु. 107.78 लाख के उपलब्ध बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 70.93 लाख व्यय किये गये तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 168.21 लाख के उपलब्ध बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 148.87 लाख व्यय किये गये हैं।

भाग-5
सामान्य प्रशासनिक विषय

महामहिम राज्यपाल का बजट अभिभाषण वर्ष 2018 :- महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण वर्ष 2018 में पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई बिन्दु कार्यवाही किए जाने हेतु शेष नहीं है।

विभागीय पदोन्नतियाँ :-पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग से पृथक नवीन सेवा भर्ती नियम तैयार किये गये हैं तथा नवीन भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

विभागीय जाँच:-संचालनालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अंतर्गत श्री दाउद अहमद खान उपसंचालक के विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0 वक्फ बोर्ड में पदस्थी अवधि का विभागीय जाँच का प्रकरण लंबित है।

नियुक्तियाँ:- विभाग में वर्ष 2018-19 में प्रतिवेदन अवधि में किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की गई है।

स्थानांतरण-मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया :-

- (1) श्री विशाल श्रीवास, सहायक संचालक को जिला सिवनी से जिला कार्यालय बैतुल।
- (2) श्री एस.एल.डामोर, सहायक संचालक को जिला आगर-मालवा से जिला कार्यालय मन्दसौर।
- (3) श्री विवेक सिंह, निरीक्षक को जिला हरदा से जिला कार्यालय नरसिंहपुर।
- (4) श्री मोहम्मद शाहिद खान, निरीक्षक को जिला देवास से जिला कार्यालय भोपाल।

विधान सभा संबंधी कार्य:-प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त सभी विधान सभा प्रश्नों, एवं अन्य सूचनाओं तथा ध्यानाकर्षण के उत्तर विधानसभा को प्रस्तुत किए गए। वर्तमान में विभाग से संबंधित 09 आश्वासनों की पूर्ति लंबित है।

संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक:-प्रतिवेदन अवधि में गठित संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08-03-2017 को सम्पन्न हुई है उसके उपरान्त कोई परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं हुई है।

न्यायालयीन कार्य:- अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या 12 है।

भाग-6

प्रकाशन

विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई प्रकाशन नहीं कराया गया है।

भाग-7

राज्य महिला नीति के अन्तर्गत महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं/गतिविधियों की जानकारी

1. पिछड़े वर्ग की कक्षा 6 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वी, 12वी और उससे आगे मह.विद्य. लयीन/तकनीकी कक्षाओं में उच्च शिक्षा हेतु पोस्टमैट्रिक छात्राओं को भी प्रदान की जा रही है जिसमें लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं को भी लाभांशित किया जाता है।
2. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये मेधावी पुरस्कार योजना में 50 प्रतिशत महिला लाभार्थी का प्रावधान किया गया है। योजना में प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में 02 बालिकाओं को लाभांशित किया जाता है। इस प्रकार कुल 104 बालिकाओं को लाभांशित किया जाता है।
3. पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान है।
4. प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांशित हो रही है।
5. केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। जिला शाजापुर में भी 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो कर संचालित है। संभागीय मुख्यालय जबलपुर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। जिला दमोह में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्णतः की ओर है। जिला उज्जैन में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांशित होंगी।
6. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना(पूर्व में एमएसडीपी योजना) अंतर्गत चिन्हित 5 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं के लिए तीन 50 सीटर एवं एक 100 सीटर छात्रावास भवन भोपाल जिले में पूर्ण हो चुके हैं तथा एक-एक 100 सीटर छात्रावास कुल 4 क्रमशः श्योपुर, खरगौन, बुरहानपुर में छात्रावास निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं महू केन्द्र इन्दौर में भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है।
7. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 10 छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई।
8. राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 134 महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई।
9. म0प्र0 रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार योजना में प्रतिवर्ष 8 पुरुष एवं 8 महिलाओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
10. सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष 2016-17 का पुरस्कार प्रदेश की 01 महिला समाजसेवी को रु. दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया है।
11. विभाग की अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना में प्रतिवर्ष 2 पुरुष एवं 1 महिला समाजसेवी को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
12. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की प्रीमैट्रिक, पोस्टमैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 30 प्रतिशत राशि छात्राओं को वितरित की जाती है।

भाग-8

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु दो पृथक-पृथक योजनाएं संचालित हैं :-

1. पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना।
2. अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पिछड़े वर्ग हेतु रुपये 69.03 करोड़ एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध कराया गया एवं उपलब्ध प्रावधानों से पिछड़ा वर्ग के 20,060 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 1446 प्रशिक्षणार्थियों को विविध रोजगारोन्मुखी विषयों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र.	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव(यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी(ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी महाकुल(राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल ग्वाल, ग्वाला	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	यादव अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है, अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती है, यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं है। यह जाति म0प्र0 के इंदौर एवं खंडवा जिलों में निवासरत है।
2	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	—
3	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को वैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है, ब्राह्मण जाति के वैरागी शामिल नहीं किये गये हैं।
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा धरिया, लभाना, लबाना, लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राह्मण शामिल नहीं है।
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया)	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं।
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
7	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	—
8	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरुदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।
9	भड़भूंजा, भूंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोधी, जसोधी, मरुसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरुदावाली का गायन करना	—
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	—

12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया(वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी, जालारनलु, सोंधिया (विलोपित)	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं, इसी रूप में सम्मिलित की गई है. कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में अनु.जनजाति में शामिल है, जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है।
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार,	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नहीं
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	—
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राह्मण है. सूची में शामिल किया गया है।
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	—
17	चुनकर, चुनगर, कुलवंध्या, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	—
18	चितारी	दीवारों पर चित्रकारी करना	—
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	—
20	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्टी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनु.जाति में शामिल है.
21	मीना(रावत)देशवाली, मेवाती, मीणा(विदिशा जिले की सिरोंज व लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है. मीणा /मीना सिरोंज तहसील में अनु. जनजाति में घोषित है
22	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धरिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियाँ अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं पाल व बघेले गड़रिया जाति को उपजाति के रूप में शामिल किये गये हैं. बघेले राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है.
24	कडरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार	कपास की रुई धुनकने का कार्य करना. कडरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं।	—

25	कोष्टा कोष्ठी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्दा, कोस्काटी, कोशकाटी (लिंगायत) गढवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं।
26	धोली / डफाली / डफली / ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरों में पूजा व उपजातियों ढोल बजाने का कार्य करती हैं।	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है।
27	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राम्हण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं हैं।
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं।
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हण वर्ग सम्मिलित नहीं है।
30	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं। जोगी व इस समूह की अन्य जातियाँ धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं	“जोगी” धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं
31	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं
32	सोनार, सुनार, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं।
33	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मोर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर कोहरी (ब) माली(सैनी), मरार, फूलमाली(फूलमारी)	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी कृषि कार्य एवं मजदूरी	“कुशवाहा” काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं। काछी जाति के शाक्य व मोर्य भी उपजातियां हैं। यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है। कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
34	जोशी (मड्डरी) इकोजा, इकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हैं

35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करने कांच की चूड़ियां बेचना	—
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना.	—
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक,	—
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं.
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रानाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी	कृषक, कृषि मजदूरी	—
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	—
41	कौरव, कांवरे	कृषक	—
42	कलार (जायसवाल) कलाल, डड़सेना	मदिरा (शराब) बेचना	—
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	—
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	—
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास) म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई हैं.
46	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	—
47	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना. बुनकर	“पनिका” छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिलों में जनजाति में शामिल हैं.
48	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	—
50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	—

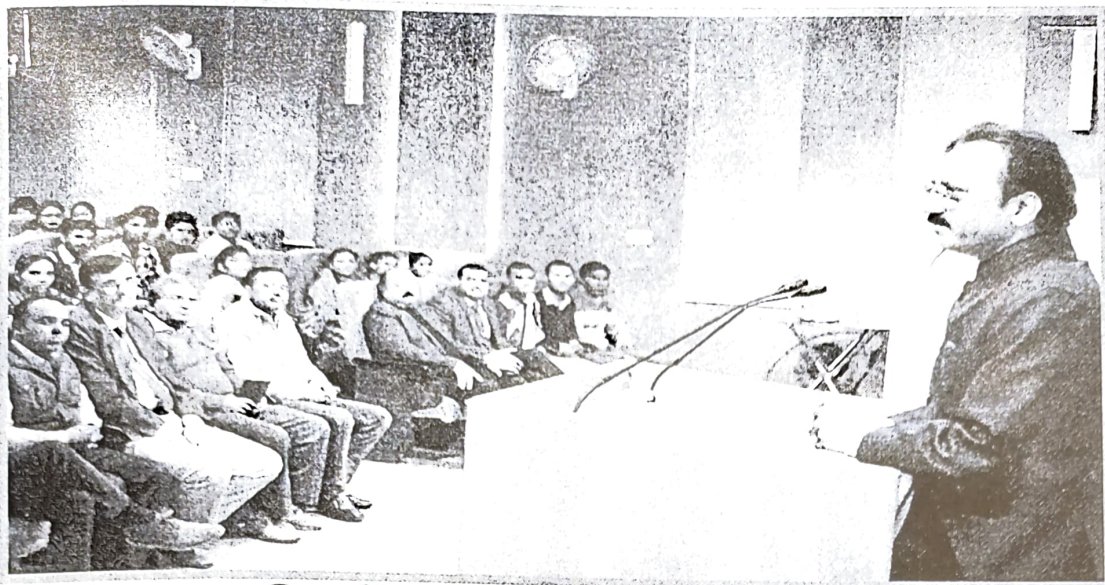
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते हैं। राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है। राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं।
52	तुरहा, तिरवाली, बड़ड़र	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	—
53	किसड़ी, कसड़ी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	—
54	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति कोरकू की उपजाति है। बैतूल जिले की भंवरगढ क्षेत्र में निवास करती है।
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है। पूर्व में सैनिकवृत्ति करती थीं	सरगूजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है।
56	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मानकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल।
57	कोटवार कोटवाल (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	कोटवाल जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर शिवपुरी, उज्जैन, एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है।
58	खैरुवा (विलोपित)	कत्था बनाना	खैरुवा, खैरवार की उपजाति है। खैरवार अनु. जनजाति में शामिल है।
59	लोढ़ा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	—
60	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जजा
61	रजवार	कृषक, कृषि मजदूर	—
62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है।
63	तिउर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बैत का सामान बनाने का कार्य करना	—
64	भारुड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे।

65	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	—
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी है. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है.
67	राघवी	कृषि कार्य करना	—
68	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	—
69	खारोल	कृषि मजदूरी	—
70	विलोपित	—	—
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना	—
72	रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	—
73	जादम	कृषि मजदूरी	—
74	दांगी/डांगी	कृषक	राजपूत इस सूची में सम्मिलित नहीं है.
75	गयार/परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.
76	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते हैं.
77	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद है
78	वया महारा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं.
79	पिंजारा (हिन्दू)	—	—
80	विलोपित	—	—
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं.	अनु.जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है
82	आंजना	—	—
83	धोरिया	—	—
84	गेहलोत मेवाड़ा	—	—
85	रेवारी	—	—
86	रुवाला/रुहेला	—	—
मुस्लिम धर्मावलम्बी समूह की जातियां			
87	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(2) भिश्ती, अब्बासी "सक्का"	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य

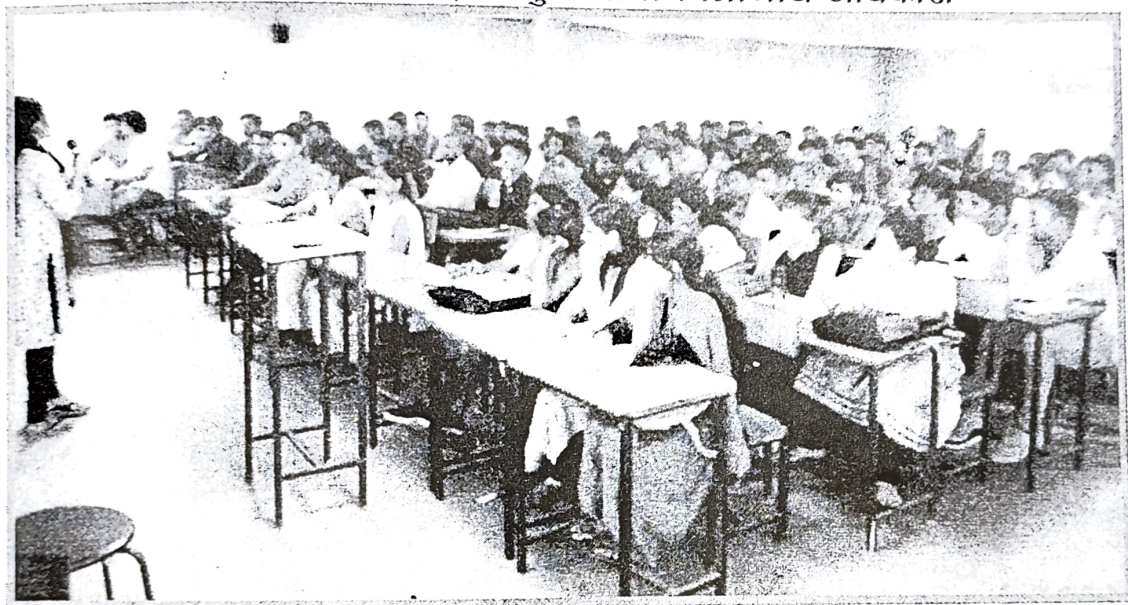
(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	-
(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवस्था
(7) मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
(8) पिंजारा, नददाफ, बेहना, धुनिया, धुनकर, फकीर, शाह, साई कब्रखोदू	रुई धुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति एवं कब्र खोदना	हिन्दुओं में कडेरा जाति के समान
(9) कुंजड़ा राईन	साग सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य
(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसैंत खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोشت बेचने का कार्य	हिन्दू खटीक जाति के समान धंधा
(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
(14) बढई (कारपेन्टर) खरादी कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम लकड़ी पर खरादी का कार्य तथा लाख का कार्य करना	हिन्दू बढई जाति के समान पेशा
(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं में नाई जाति के समान पेशा करने वाले
(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	-
(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
(19) तड़वी	कृषि कार्य	-
(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैलगाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय
(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा
(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	-

	(24) कलईगर	बर्तनों व अन्य समान में कलई करना	—
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम	—
	(26) शीशगर	—	—
	(27) गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना	क्रमांक 1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति
	(28) राजगीर	ईंट की जुड़ाई चूनागारा भवन निर्माण का कार्य	क्रमांक 17 पर हिन्दू राजगीर के समकक्ष जाति
	(29) डफाली	मांगना	क्रमांक 26 पर हिन्दू डफाली के समकक्ष जाति
	(30) घोषी व गवली, गोली	दूध बेचना व पशु चराना	क्रमांक 31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष
	(31) सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्रमांक 50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति
	(32) संतरास	पत्थर की जुड़ाई एवं कटाई	सूची क्रमांक 52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम संतरास पत्थर तराशने का कार्य करते हैं
	(33) नट	कलाबाजी दिखाना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समकक्ष जाति
	(34) शेख मेहतर (35) नियागरगर (36) गद्दी (37) मुकेरी, मकरानी (38) भांड नक्काल	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना सुनार व सड़क की धूल कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर उसमें से धातु को एकत्रित कर सुनारों के पास बेचना पशुपालन, कृषि तथा मजदूरी पशुपालन एवं पशु व्यवसाय	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समकक्ष जाति
88	बैसवार	कृषि एवं कृषि मजदूरी करना	
89	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क किनारे दुकानें लगाने का छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले	
90	विश्वोई जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी कृषि एवं कृषि मजदूरी	

91	राठौर जाति	कृषि एवं कृषि मजदूरी	<p>1. यह जाति मध्यप्रदेश में मुख्यतः डिण्डौरी, उमरिया व शहडोल जिलों में निवासरत है।</p> <p>2. क्षत्रिय राजपूत राठौर इसमें शामिल नहीं होंगे।</p>
92	बहावलपुरी	कृषि, मजदूरी	<p>पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाए गये मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग मान्य किया जाता है।</p>
93	सौंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	<p>(महाकौशल एवं विध्य क्षेत्र के जिलों में)</p> <p>2. समस्त प्रदेश। इसमें सौंधिया जाति के वे लोग भी जो अपने को सौंधिया राजपूत कहते हैं, शामिल होंगे।</p>



विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए
विभाग के सचिव/ आयुक्त तथा विभागीय अधिकारी



प्रशिक्षण योजना 2018-19 अंतर्गत भोपाल में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी
हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करते प्रशिक्षणार्थी



शासकीय पिछड़ा वर्ग 500 सीटर पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास
ग्राम—असरावद खुर्द—इन्दौर(म.प्र.)



मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में शकील शेख पिता श्री सलीम शेख को सीएनजी ऑटो रिकशा हेतु स्वीकृत ऋण राशि रु. 200000/- अनुसार अनुदान राशि रु. 60000/- प्रदत्त किया गया।